



# यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

## U J V N Limited

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

मानव संसाधन विभाग, "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून - 248001 (उत्तराखण्ड)

Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001 (Uttarakhand)

दूरभाष / Phone.0135.2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स / Fax.0135.2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866

ISO 9001 : 2008 Certified

संख्या 5964 - यूजेवीएनएल / 05 / कार्मिक / अनु-2 / जी-18,

दिनांक 17 अगस्त, 2016

विषय: निगमादेश सं0 11076 / यूजेवीएनएल / कार्मिक / 05 / अनु-111 / टी-3, दि0 29-12-2015 में निहित प्राविधानों के कार्मिकों द्वारा समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के चयन हेतु दिये गये विकल्प।

समस्त महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड।

समस्त उप महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड।

**अत्यावश्यक**

कृपया निगमादेश संख्या 11076 / यूजेवीएनएल / कार्मिक / 05 / अनु-111 / टी-3, दिनांक 29-12-2015 के संदर्भ में दिनांक 31-03-2009 तक अनुमन्य करायी गयी समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के चयन हेतु दिये गये विकल्पों के सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराने का निदेश हुआ है-

1- निगमीय कार्यालय ज्ञाप संख्या 3065 / यूजेवीएनएल / कार्मिक / 05 / अनु-111 / टी-3,, दिनांक 10-05-2016 द्वारा निगमादेश संख्या 11076 / यूजेवीएनएल / कार्मिक / 05 / अनु-111 / टी-3, दिनांक 29-12-2015 में अंकित 'दिनांक 14-06-2013 तक नियुक्त' के स्थान पर 'दिनांक 14-06-2013 तक अर्ह' संशोधन किया गया है।

2- उक्त संशोधन के फलस्वरूप निगमादेश संख्या 11076 / यूजेवीएनएल / कार्मिक / 05 / अनु-111 / टी-3, दिनांक 29-12-2015 द्वारा अनुमन्य कराये गये समयबद्ध वेतनमान दिनांक 14-06-2013 तक अर्ह कार्मिकों को ही अनुमन्य किये जायेंगे। दिनांक 14-06-2013 के पश्चात समयबद्ध वेतनमान अनुमन्य नहीं होंगे।

3- उक्त आदेशों के तहत दिनांक 14-06-2013 के पश्चात कार्मिकों को वित्तीय स्तरान्णयन ही अनुमन्य होंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न सूची "अ" एवं "ब" में दर्शाये गये कार्मिकों, जिनको दिनांक 14-06-2013 तक प्रथम वित्तीय स्तरान्णयन स्वीकृत किया जा चुका है या स्वीकृत होना है, को सूचित करें कि निगमीय पत्र संख्या 472 / यूजेवीएनएल / 05 / कार्मिक / अनु-2 / जी-18, दिनांक 19-01-2016 के संदर्भ में निगमादेश संख्या 11076 / यूजेवीएनएल / कार्मिक / 05 / अनु-111 / टी-3, दिनांक 29-12-2015 के प्राविधानों के अन्तर्गत समयबद्ध वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के चयन हेतु विकल्प के सम्बन्ध में यदि उक्त परिवर्तित परिदृश्य में वे अपने दिये विकल्प के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन / पुनर्विचार करना चाहते हो तो वे दिनांक 15-09-2016 तक निर्धारित संलग्न प्रारूप पर अपनी सहमति / अहसमति से अवगत करा दें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि कार्मिक को निगमीय कार्यालय ज्ञाप संख्या 3065, दिनांक 10-05-2016 द्वारा किये गये संशोधन के फलस्वरूप उनके द्वारा पूर्व में दिये गये विकल्प पर पुनर्विचार नहीं करना है।

ATCIT  
Pl. upload  
on website.  
20/8/16  
SM:PI

Ashutosh  
17/8/16

क्रमशः 2 / —

इसके अतिरिक्त संलग्न सूची "स" में ऐसे कार्मिकों का उल्लेख है जिन्होंने निगमादेश संख्या 11076 दि० 29-12-2015 में निहित प्राविधानानुसार समयबद्ध वेतनमान हेतु विकल्प दिये हैं, परन्तु जो निगमादेश संख्या 3065 दिनांक 10-05-2016 द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार दिनांक 14-06-2013 तक समयबद्ध वेतनमान हेतु अर्ह नहीं हैं। अतः उन्हें वर्तमान आदेशों के तहत समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं।

यह भी कि यदि कोई अन्य कार्मिक, जिन्हें उक्त आदेशों के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 14-06-2013 तक कोई समयबद्ध वेतनमान/वित्तीय स्तरान्तरण स्वीकृत हुआ है या स्वीकृत हो सकता है, तो सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी प्रश्नगत व्यवस्था के चयन हेतु अर्ह कार्मिकों से दिनांक 15-09-2016 तक निगमादेश संख्या 11076/यूजेवीएनएल/कार्मिक/05/अनु-111/टी-3, दिनांक 29-12-2015 के साथ संलग्न विकल्प पत्र प्राप्त कर मानव संसाधन विभाग को उपलब्ध कराने की कार्यवाही करेंगे।

संलग्नक- यथोपरि।




(आशिष कुमार जैन)  
उप महाप्रबन्धक(कार्मिक)

संख्या <sup>5964</sup> -यूजेवीएनएल/05/कार्मिक/अनु-2/जी-18 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून के वैयक्तिक सहायक।
- 2-प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून के वैयक्तिक सहायक।
- 3-निदेशक(परिचालन)/(परियोजनायें)/(मा०सं०)/(वित्त), यूजेवीएन लि०, देहरादून के निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक।
- 4-समस्त अधिशासी निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
- 5-कम्पनी सचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
- 6-वरिष्ठ प्रबन्धक(आई०टी०), यूजेवीएन लि० को उक्त संलग्नकों सहित निगमीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 7-समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड।
- 8-समस्त अधिशासी अभियन्ता/सहायक प्रबन्धक/वरिष्ठ विधि अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, यूजेवीएन लि०।

  
(आशिष कुमार जैन)  
उप महाप्रबन्धक(कार्मिक)

निगमादेश संख्या 11076/यूजेवीएनएल/कार्मिक/05/अनु-111/टी-3, दिनांक 29-12-2015 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 14-06-2013 तक नियुक्त कार्मिकों को समयबद्ध वेतनमान की व्यवस्था चुनने हेतु दिये गये विकल्प पर कार्यवाही करने हेतु सहमति/असहमति हेतु।

सहमति/असहमति देने हेतु प्रारूप

मैं (नाम एवं पदनाम).....

निगमादेश संख्या 11076/यूजेवीएनएल/कार्मिक/05/अनु-111/टी-3, दिनांक 29-12-2015 के प्राविधानों के अन्तर्गत मेरे द्वारा समयबद्ध वेतनमान की व्यवस्था चुनने हेतु दिये गये विकल्प पर निगमीय कार्यालय ज्ञाप संख्या 3065/यूजेवीएनएल/ कार्मिक/05/ अनु-111/टी-3, दिनांक 10-05-2016 द्वारा 'दिनांक 14-06-2013 तक नियुक्त' के स्थान पर 'दिनांक 14-06-2013 तक अर्ह' संशोधित किये जाने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही करने हेतु \*सहमति/असहमति ( ) प्रदान करता हूँ।

\* जो लागू न हो काट दिया जाए एवं जो लागू हो उसे कोष्ठक के अन्दर लिख भी दें।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यालय का नाम

दिनांक.....

स्थान.....



